MOMENTUM JHARKHAND
The Investment Destination

झारखण्ड सरकार

कार्यालय
उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, दुमका (झारखण्ड)
(कल्याण शाखा)

संख्या 232 दिनांक 20/02/18

प्रमाण–पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि दुमका वन प्रमण्डल, दुमका के अन्तर्गत निर्मित (1) मजिस्ट्रेट कॉलोनी 17.76 एकड़, (2) पुलिस उप महानिरीक्षक आवास 3.05 एकड़, (3) पुलिस लाईन 2.15 डी0, (4) आउटडोर स्टेडियम 7.00 एकड़, (5) राजभवन 5.17 एकड़ के लिए प्रस्तावित मौजा – बन्दरजोरी, अंचल – दुमका के अन्तर्गत कुल 35.13 एकड़ वनभूमि के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत Settlement of Rights की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। इस संबंध में की गई बैठक से संबंधित ग्राम सभा का प्रस्ताव में वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव एवं उद्देश्य की विवरणी को समझते हुए अपयोजन तथा क्षतिपूरक मापदण्डों पर ग्राम सभा द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

2. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव प्रस्तावित क्षेत्र में पड़ने वाले वन निवासियों के ग्राम सभा के समक्ष रखा गया। परियोजना की विस्तृत विवरणी तथा अनुवर्ती प्रभाव के संबंध में वस्तुस्थिति स्थानीय भाषा/मातृभाषा में ग्राम सभा को व्यख्यापित कर दी गई है।

3. प्रमाणित किया जाता है कि वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव के संबंध में की गई चर्चा एवं लिये गये निर्णय के समय ग्राम सभा के न्यूनतम पचास प्रतिशत सदस्य की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. प्रमाणित किया जाता है कि आदिम जनजाति समूह एवं आदिम कृषक समुदाय के अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम की धारा – 3(1) (e) के अनुसार विशेष रूप से रक्षित किया गया है।

5. प्रमाणित किया जाता है कि सरकार के द्वारा दिये जाने वाली सुविधाओं से संबंधित वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव (यदि कोई हो) के संबंध में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारेां की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा – 3(2) के तहत प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है तथा ग्राम सभा द्वारा इस पर सहमति व्यक्त की गई है।

उपायुक्त,
दुमका

858

D:Nishant/Sanjay M

Scanned by CamScanner